भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 753
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर जल योजना की स्थिति

753. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देशभर में क्रियान्वित की जा रही "हर घर जल" योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सभी लक्षित घरों में नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी चुनौतियाँ क्या हैं;
(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों, विशेषकर आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य प्रदूषकों से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने/सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार पेयजल आपूर्ति में रिसाव और जल अपव्यय को कम करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चला रही है; और
(ङ) यदि हाँ, तो विशेषकर संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.43 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 21.07.2025 तक, देश के

19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख) जी नहीं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सभी लक्षित परिवारों को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए मिशन के कार्यान्वयन में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं - जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, कच्चे माल की बढ़ती कीमत, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में विलंब आदि।

(ग) जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि यह सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, जल जनित स्वास्थ्य जोखिम की समय पर पहचान/मूल्यांकन करने और उचित एवं नियमित कीटाणुशोधन जैसे निवारक/उपचारी उपाय करने के लिए अनिवार्य है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो पेयजल गुणवत्ता के लिए विभिन्न भौतिक-रासायनिक और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों के लिए वैकल्पिक स्रोत के अभाव में 'स्वीकार्य सीमा' और 'अनुमेय सीमा' विनिर्दिष्ट करता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय फ्लोराइड और आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है।

वर्तमान कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को कार्य पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता, आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पीने के पानी के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी और पर्यवेक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए,

एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' भी विकसित किया गया था। इस कार्नर में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पब्लिक डोमेन में जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों को दर्शाना शामिल था।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों और उनके पैरास्टेटल संगठनों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में सिफारिश की गई है कि स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण बिंदुओं जैसे विभिन्न परीक्षण बिंदुओं पर पीने के पानी के नमूनों का व्यापक परीक्षण किया जाए और जहां भी आवश्यक हो, वहां उपचारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को उपलब्ध कराया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

(घ) से (ङ) जल की कमी वाले क्षेत्रों में अर्ध-शहरी/बड़े गांवों के लिए, बहुमूल्य ताजे पानी को बचाने के लिए, दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दोहरी पाइपगत जल आपूर्ति प्रणाली के साथ नई जल आपूर्ति स्कीम की योजना बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, अर्थात एक में ताजे पानी की आपूर्ति और दूसरी पाइप में गैर-पीने योग्य/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग उपयोग के लिए उपचारित ग्रे/अपशिष्ट पानी की आपूर्ति। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के परिवारों को नल में लगने वाली जाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा की बचत होती है, वे अपने घर के अंदर कई नलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ आईईसी/सोशल मीडिया अभियानों में ग्रामीण भारत में रिसाव और पानी की बर्बादी को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

***